न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **394/2019(145/2019)**

GCMS NO. : **2019/00092**

–:: वादी ::–	**बनाम**	**–:: प्रतिवादी ::–**
1. कानाराम पुत्र लालूराम जाति– सीरवी निवासी चावण्डियाकलां, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/09/2019

उपस्थितः–

1. श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 05/01/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा चावण्डियाकलां पटवार हल्का चावण्डियाकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा संख्या 170, 178, 185, 190, 191, 192, 411, 412, 434, 435, 138, 409, 141, 142, 143, 144, 145, 146 की कृषि भूमि आई हुई है, जिसमे वादी अपने हक हिस्से व बंट अनुसार मौके पर काबिज कास्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त विवादित आराजी में वादी का नाम मानवीय भूल व सहवन से कन्हैयालाल पुत्र लालुराम दर्ज हो गया है जो गलत है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम, कानाराम पुत्र लालुराम है जो उसके आधार कार्ड, पहचान कार्ड, बैंक एकाउन्ट, भामाशाह कार्ड, परिवार कार्ड आदि मे दर्ज है जिनकी प्रतिया वादपत्र के साथ संलग्न है। जिन्हे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादी को अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर वादी ने पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड देखा तो उसे इस रोंग एन्दी की जानकारी दिनांक 21.02.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे वादी अपनी कृषि भूमि में उक्त रोंग एन्ट्रीएवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने की अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबतघोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है। जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम कानाराम पुत्र लालुराम दर्ज करने इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेसानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओ से फायदा नही उठा पा रहा है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है। जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने तक विवाद आदि न करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:06:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

दिनांक 21-6-19 को कथन किया इसलिए सहखातेदारो के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है। प्रतिवादी संख्या एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है जो घोषणा के वादपत्र मे आवश्यक व प्रोपर पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 21.06.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्टी हटाने का एलानिया कथन करने पर बमुकाम चावण्डियाकलां पटवार हल्का चावण्डियाकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश साना वाली है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। तहसीलदार,जैतारण ने जवाबदावा पेश किया, जो सामिल मिसल है। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया, सामिल मिसल है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा में व्यक्त किया कि यह सही है कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 सरहद मौजा चावण्डिया पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील जैतारण में खाता संख्या 59 में खसरा नम्बर 178, 185, 190, 191, व 192 कुल खसरा 5 कुल रकबा 136-10 बीघा तथा खाता संख्या 166 में खसरा नम्बर 411, 412, 434, व 435 कुल खसरा 4 कुल रकबा 276-07 बीघा वादी के नाम कृषि भूमि आई है। जमाबन्दी नकल संलग्न है।यह सही है कि वादीगण के संलग्न मुल दस्तावेज फोटोप्रति परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैक डायरी, राशन कार्ड, व भामाशाह कार्ड के अनुसार वादीगण का नाम कानाराम पुत्र लालुराम दर्ज है। फोटो प्रतियां संलग्न है।यह सही है कि वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर वादीगण की जानकारी में आया कि वादी का नाम सेवन से गलत दर्ज हो गया जिससे वादीगण ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा-136 के तहत नाम दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है।यह सही है कि वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते समय त्रुटी दुरूस्त कानाराम पुत्र लालुराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र लालुराम दर्ज हो गया। अतः निवेदन है कि वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में करते समय सेवन कानाराम पुत्र लालुराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र लालुराम दर्ज हो गया जिसे कन्हैयालाल पुत्र लालुराम के स्थान पर कानाराम पुत्र लालुराम दर्ज किया जाना उचित है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात तथा तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर व मनन किया गया। वादी के वादपत्र के अनुसार सरहद मौजा चावण्डियाकलां पटवार हल्का तहसीलदार जैतारण के खसरा संख्या 170, 178, 185, 190, 191, 192, 411, 412, 434, 435, 138, 409, 141, 142, 143, 144, 145, 146 की कृषि भूमि में मानवीय भूल से वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र लालूराम दर्ज हो गया, जो रोन्ग एन्ट्री है एवं गलत इन्द्राज हैं, जिसे हटाया जाकर उसके स्थान पर राजस्व रेकर्ड में कानाराम पुत्र लालूराम दर्ज करनें हेतू घोषणा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाकर पालना तहरीर तहसीलदार जैतारण से करवाई जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:06:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाहों के बयान P/W- 1 व P/W- 2 दर्ज करवाए। गवाहों ने अपनें बयानों में बताया कि दावें में वर्णित भूमि के संबंध में जमाबंदियों में कलम की गलती से कानाराम की जगह कन्हैयालाल का नाम दर्ज हों गया है। कन्हैयालाल पुत्र लालूराम जाति सीरवी नाम का कोई आदमी चावण्डियांकलां में नहीं है। कन्हैयालाल का सही नाम कानाराम हैं। वादी के वाद–पत्र व गवाहों के बयानों की पुष्टि तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट क्रमांक/कोर्ट/2020/436 दिनांक 10.02.2020 से भी होती है। तहसीलदार जैतारण की उक्त रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते समय सहवन/लिपिकीय त्रुटि से कानाराम पुत्र लालुराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र लालुराम दर्ज हो गया जिसे कन्हैयालाल पुत्र लालुराम के स्थान पर कानाराम पुत्र लालुराम दर्ज किया जाना उचित है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की जमाबंदियों में वादी का नाम कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल गलत दर्ज हुआ है। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में वादी कानाराम पुत्र लालुराम का नाम दुरूस्त किए जानें हेतु खातेदारी हक की घोषणा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चावण्डियाकलां पटवार हल्का चावण्डियाकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा संख्या 178, 185, 190, 191, 192, 411, 412, 434, व 435 कुल खसरा 09 में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज वादी की अशुद्ध प्रविष्टि कन्हैयालाल पुत्र लालुराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम कानाराम पुत्र लालुराम दुरूस्त करनें की घोषणा करते हुए इसी मुताबिक वाद वादी का डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/01/2021 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:06:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

–:: वादी ::–

1. कानाराम पुत्र लालूराम
जाति– सीरवी निवासी
चावण्डियाकलां, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली(राज0)

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी, जैतारण जिला पाली
राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 394/19(145/19)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार राज तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चावण्डियाकलां पटवार हल्का चावण्डियाकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा संख्या 178, 185, 190, 191, 192, 411, 412, 434, व 435 कुल खसरा 09 में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज वादी की अशुद्ध प्रविष्टि कन्हैयालाल पुत्र लालुराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम कानाराम पुत्र लालुराम दुरूस्त करनें की घोषणा करते हुए इसी मुताबिक वाद वादी का डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .. नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....को अदा करें। ..–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–...... को सरे बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/01/2021 को इजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील	02–00	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	–	फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	07–00	मिजानः–	–Nil–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को जो के डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:06:48 IST
Reason: SelfAttested